न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— **प्रभाती लाल जाट** आर.ए.एस.

अपील सं. 20/2016

वानः—

वीर प्रसाद पुत्र ख्याली राम सा0 बिजारणीयांवाली ढाणी तह0 हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ।

भवानी शंकर पुत्र महावीर प्रसाद जाति जाट सा. बिजारणीयांवाली ढाणी तह0 हनुमानगढ।

मदन लाल पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट सा0 बिजारणीयांवाली ढाणी तह0 हनुमानगढ।

मोहन लाल पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट सा. बिजारणीयांवाली ढाणी तह0 हनुमानगढ।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 22.8.16 बअदालत तहसीलदार हनुमानगढ।

उपस्थितः— 1 श्री राजेशदीप राय अभिभाषक अपीलांट।
2 श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अभिभाषक ।
3 श्री अनिल शर्मा अभिभाषक रेस्पो0 सं0 2 ता 4

—:निर्णयः—

दिनांकः **—20.02.2019**

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैः—

1 यह कि अपील के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का किशनपुरा दिखनादा की रिपोर्ट कि चक 1 ए डब्ल्यु एस एम के प0नं0 136/336 कि0नं0 1,10,11,2,21 में गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत राजस्व रिकार्ड में है जिसमें काश्त कर रखी है। अतः नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

2 यह कि रेस्पो0 2 से 4 ने उक्त प्रकरण में उपस्थित होकर जबाब प्रस्तुता करते हुए कथन किये कि चक 1 ए डब्ल्यु एस एम के प0नं0 136/336 कि0नं0 1 ता 20 सालम व कि0नं0 21 ता 25 प्रत्येक में 18—18 बिस्वा कुल 24 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि अप्रार्थी भवानी शंकर के दादा ख्यालीराम की पूर्व 55 की आराजी काश्त भूमि थी । जिस पर अप्रार्थी भवानी शंकर के दादा काबिज होकरास काश्त करते रहे। सक्षम अधिकारी ने दिनांक 2.5.84 को धारा 15 एएए के अर्न्तगत अप्रार्थी भवानीशंकर के दादा ख्यालीराम को खातेदारी जारी की। अभिकथित रास्ता कभी भी स्वीकृत नहीं हुआ तथा ना ही अभिकथित रास्ता की कभी आवश्यकता हुई तथा ना ही रास्ता मौका पर कभी चालू हुआ , अभिकथित रास्ता कब बन्द किया गया इस संबंधमें विशिष्ट तात्वियों का अभाव है वस्तुतः न तो ऐसा कोई रास्ता कभी स्वीकार हुआ है तथा ना ही मौका पर कभी चालू हुआ है। राजस्व रिकार्ड में गलत प्रविष्टि हुई है इस संबंध में अप्रार्थी भवानी शंकर ने राजस्व वाद अनवानी भवानी शंकर बनाम स्टेट प्रस्तुत किया हुआ है। अप्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर ही काश्त की है। मौका पर फसल खड़ी है बीच फसल में कोई कार्यवाही की जाती है तो अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः कार्यवाही ड्राप फरमाई जावे।

3 यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.8.16 को प्रश्नगत भूमि से बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने व मौका पर खड़ी फसल को नष्ट कर रास्ता चालू करवाने के आदेश पारित किये। प0नं0 136/336 कि0नं0 21 अपीलांट के आधिपत्य व धारण में है तथा उक्त किला राजस्व अभिलेख में अपीलांट के नाम दर्ज है। अपीलांट आक्षेपित आदेश से विपरीत रूप से प्रभावित है इसलिए अपीलांट बतौर तृतीय पक्ष

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

उक्त अपील प्रस्तुत कर रहा है इसके लिए धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर निम्नलिखित आधारों पर अपील प्रस्तुत कर रहा है:–

क– कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश कतई गल एव विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया है । चक 1 ए डब्ल्यु एस एम के प0नं0 136/336 कि0नं0 21 राजस्व अभिलेख में अपीलांट के नाम दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया तथा ना ही कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया । उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है।

ख:– कि चक 1 ए डब्ल्यु एस एम के प0नं0 136/336 कि0नं0 1 ता 20 सालम व कि0नं0 21 ता 25 प्रत्येक में 18–18 बिस्वा कुल 24 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि अप्रार्थी भवानी शंकर के दादा ख्यालीराम की पूर्व 55 की आराजी काश्त भूमि थी । जिस पर अप्रार्थी भवानी शंकर के दादा काबिज होकर काश्त करते रहे। सक्षम अधिकारी ने दिनांक 2.5.84 को धारा 15 एएए के अर्न्तगत अपीलांट के पिता ख्यालीराम के नाम से उक्त भूमि की खातेदारी जारी की। अपीलांट के पिता की मृत्यु के बाद उपरोक्त 24.10 बीघा भूमि अपीलांट व अपीलांट के भाई को प्राप्त हुई तत्पश्चात् विभाजन में उक्त भूमि में से कि0नं0 21 भी अपीलांट को प्राप्त हुआ। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

ग– कि अभिकथित रास्ता की कभी आवयश्यकता नही हुई ना ही रास्ता मौका पर कभी चालू हुआ , अभिकथित रास्ता कब बन्द किया गया। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विवेचन अपने आदेश में नहीं किया। वस्तुतः न तो ऐसा कोई रास्ता कभी स्वीकार हुआ है तथा ना ही मौका पर कभी चालू हुआ है। अधीनस्थ न्यायालयने अपने आक्षेपित आदेश में यह विवेचन किया है कि रास्ता न होने के संबंध में कोई सबूत नहीं पेश किये जो कतई गलत है। अधीनस्थ न्यायालय को इस पहलू पर गौर करना चाहिए था कि अभिकथित रास्ता कब और किसे आदेश से स्वीकृत हुआ जोकि एक मुख्य बिन्छु था मात्र राजस्व रिकार्ड में गलत प्रविष्टि होने के आधार पर अपीलांट की खातेदारी भूमि के संबंध में आदेश पारित किया है।

घ– कि आदेश दिनांक 2.5.84 सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश है जिसके प्रभाव में रहते अधीनस्थ न्यायालय को आक्षेपित आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं थी यदि कोई पक्ष आदेश 2.5.84 से पीडित महसूस करता है तो उसे उक्त आदेश के विरूद्ध अपील करनी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज कर आदेश पारित किया है।

ड– कि राजस्व रिकार्ड में हुई गलत प्रविष्टि को दुरूस्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन है उक्त कार्यवाही के विचाराधीन रहते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं थी।

च– कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका पर खड़ी फसल को नष्ट कर रास्ता चालू करवाने के आदेश दिये गये हैं जा कतई गलत हैं। कानूनन खड़ी फसल को नष्ट नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी की गयी। रेस्पो0 1 की ओर से राजकीय अभिभाषक व रेस्पो0 2 ता 4 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब कर सलंग्न पत्रावली किया गया।

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अपास्त करने का निवेदन किया गया।

रेस्पो0 2 ता 4 की ओर से प्रा0पत्र दिनांक 20.9.18 के संबंध में बहस में तर्क किया कि प0नं0 136/336 कि0नं0 1 ता 25 कुल 24.10 बीघा जो धारा 15 एएए से आवंटन शुद्धा है उक्त पत्रावली संबंधित न्यायालय से मंगवाया जाना उचित है। इसके विरोध में राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि इस अपील के निर्णय के लिए उक्त पत्रावली की कतई आवश्यकता नहीं है क्योंकि रिकार्ड में प्रश्नगत भूमि जिस पर नाजायज काश्त की गयी है वह गै0मु0 रास्ता की भूमि है। अतः प्रा0पत्र खारिज किया जावे।

प्रा0पत्र व उभय पक्षों की बहस उपरान्त रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अनुसार प्रश्नगत अपील धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है इस अपील में मात्र यह तय किया जाना है कि प्रश्नगत भूमि गै0मु0 रास्ता की भूमि है या नहीं । इसलिए 15 एएए आवंटनकी पत्रावली मंगवाने की आवश्यकता नहीं होने से प्रा0पत्र रेस्पो0 12 ता 4 खारिज किया जाता है।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ता की भूमि पर रेस्पो0 2 ता 4 द्वारा नाजायज काश्त करने पर उनके विरूद्ध धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए रास्ता की भूमि को अनाधिकृत कब्जा के मुक्त करवाने के निर्णय पारित किया गया है जो विधि अनुकूल है। साथ ही यह भी कथन किया कि कि0नं0 21 अपीलांट के नाम होने से राजस्व रिकार्ड में कि0नं0 21 में दर्ज रास्ता की भूमि पर नाजायज कब्जा करने की अधिकारिता नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह कार्यवाही की गयी है कि राजस्व रिकार्ड में रास्ता की भूमि पर अवैध कब्जा होने पर ही नियमानुसार कार्यवाही की गयी है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध फोटो प्रति इन्तकाल सं0 7 स्वीकृति दिनांक 9.2.83 के अनुसार एसीसी के निर्णयानुसार प0नं0 136/336 कि0नं.0 1,1,11,20,21 में 2–2 विस्वा रास्ता मंजूर करने पर यह इन्तकाल दर्ज किया गया जिसके अनुसार वर्तमान रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज है। इस गै0मु0 रास्ता की भूमि पर नाजायज काश्त करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी मानकर गै0मु0 रास्ता की भूमि से बेदखल करने व तावान कायम किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.8.2016 को पारित निर्णय विधि अनुसार पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य न होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.8.2016 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णया की प्रति सहित वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

(प्रभाती लाल जाट)
आर.ए.एस.
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़